(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1993–94 और 1994 की वरिष्ठता सूचियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात देय राशि का भुगतान न किया जाना

2610. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी देय राशि का भुग-तान नहीं किया गया है ;

(ख) इस संबंध में अभी तक भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे मामलों में न्यायालयों द्वारा पहले से ही दिए गए निर्णयों के आधार पर सर्वसम्मत निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) पेंशन की मंजूरी और अदायगी की प्रक्रिया विकेन्द्रित आधार पर चलती है। सेवानिवृत्ति लाभों की मंजूरी न करने संबंधी आकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं । कार्यालयाध्यक्ष सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने की अनुज्ञप्ति जारी करते हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन पेंशन औ पेंशनभोगी कल्याण विभाग पेंशन संबंधी शिकायतों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है । सेवा-निवृत्ति लाभों का भुगतान न किए जाने के संबंध में नोडल विभाग को जब शिकायतें मिलती हैं तो संबंधित कार्यालय से आव-श्यक दोषनिवारक कार्यवाहीं करने के लिए कहा जाता है ।

(ग) न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित मामलों में, जब तक कि उसी किस्म के सेवा-निवृतों के लिए भी विशेष रूप से निदेशन न दिए गए हों, सरकार का निर्णय सदैव मामलेवार होता है ।

करेंसी नोटों की छपाई

2611. **श्रीमती सरला माहेश्वरी** : क्या वित्त मंत्री 1 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 913 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करेंसी नोटों की छपाई संबंधी इस परियोजना के लिए कितनी कंपनियों ने प्रस्ताव भेजे थे ;

(ख) जिन विदेशी कंपनियों को यह कार्य सौंपा गया है क्या उसके बारे में किसी विदेशी कंपनी ने कोई सवाल उठाए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) विश्वव्यापी स्तर पर दिए गए विज्ञापनों के आधार पर 25 निविदाकारों की प्राप्त अनुक्रियाओं में से भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 पक्षकारों की लघु सूची तैयार की थी जिन्हें पात्र समझा गया था और अप्रैल, 1990 में उन्हें निविदा के प्रस्तुत किए जाने के लिए भागीदारी में आमंत्रित किया गया था । फिर भी, विभिन्न कारणों से 6 पक्षकारों में से 3 पक्षकारों को छांटा गया था और अन्य एक पक्षकार की निविदा को विधि-मान्य नहीं समझा गया था। इसलिए, केवल दो पक्षकार नई नोट प्रेस परि-योजना के दो स्थानों के लिए संयंत्र और उपस्कर की आपूर्ति के प्रयोजनार्थ इस क्षेत्र में हैं।

(ख) और (ग) निश्चित शर्तों को पूरा किए जाने पर दो पक्षकारों के बीच संयंत्र